संख्या-3/ 2023 /ए-2- 110 /दस-2023-24(7)/95

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 2023

विषय: वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह,खण्ड-1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल महोदय अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय अधिकारों में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रतिनिधायन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और उक्त प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में कालम-5 में अंकित पूर्व प्राधिकार तद्नुसार संशोधित/निरस्त समझे जायेगें।

3- शेष प्राधिकार, जो वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1, द्वितीय संस्करण (यथा संशोधित) एवं वित्तीय प्रतिनिधायन से संबंधित समय-समय पर निर्गत पूर्व आदेशों में उल्लिखित हैं, वे यथावत् रहेगें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृष्ठांकन संख्या-3/ 2023 /ए-2- 110 (1) /दस-2023 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राज भवन, लखनऊ।

4- प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-3/ 2023 /ए-2- 110 /दस-2023-24(7)/95 का अनुलग्नक

विवरण पत्र- XVI 'भूमि तथा भवन'

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 से संबंधित विवरण पत्र की क्रम संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमायें	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
3	राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवासिक भवनों और डाक बंगलों को छोड़कर) भवनों का (जिला राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से) विक्रय अथवा विध्वंस स्वीकृत करना।	1- विभागाध्यक्ष 2-प्रशासनिक विभाग	भवनों का विध्वंस एवं विक्रय स्वीकृत करने के मामले में 10.00 लाख रूपये के खाता मूल्य तक कलेक्टर के इस आशय के प्रमाण -पत्र के अधीन कि उन्होंने अपेक्षित जॉच के बाद और अपनी पूरी जानकारी में यह सुनिश्चित कर लिया है कि उक्त भवन की किसी अन्य विभाग को आवश्यकता नहीं है और सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उसे सुविधा पूर्वक उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। 10.00 लाख रूपये से अधिक एवं 50.00 लाख रूपये के खाता मूल्य तक। टिप्पणी: - (1) भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय (भूमि को सम्मिलित करते हुये) किया जायेगा। (2) भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (3) जिन प्रकरणों में एक ही परिसर में एक से अधिक भवनों	शासनादेश संख्या-3/2021/ए-2-334/दस-2021-24(7)/95, दिनांक-19 अगस्त, 2021

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		3- मुख्य सचिव	का ध्वस्तीकरण निहित है, उनमें प्रतिनिधायन की उक्त सीमायें ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्तावित उस परिसर में स्थित सभी भवनों के कुल खाता मूल्य पर लागू होगीं। 50.00 लाख रूपये से अधिक एवं 100.00 लाख रूपये के खाता मूल्य तक। टिप्पणी: - (1) भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय (भूमि को सम्मिलित करते हुये) किया जायेगा। (2) भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (3) जिन प्रकरणों में एक ही परिसर में एक से अधिक भवनों का ध्वस्तीकरण निहित है, उनमें प्रतिनिधायन की उक्त सीमायें ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्तावित उस परिसर में स्थित सभी भवनों के कुल खाता मूल्य पर लागू होगीं।	

टिप्पणी:- (1) रुपये 100.00 लाख के खाता मूल्य से अधिक के मामलों में मा0 मंत्रि-परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(2) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित विध्वंस लोक निर्माण विभाग की विध्वंस/ध्वस्तीकरण नीति के अनुसार किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।